30/01/25

राजस्वेतर उपस्थित। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी की विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से कोई एतराज व आपत्ति पेश नहीं की है। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण में साक्ष्य हित निहित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 07/02/25 को मूल पक्ष के निर्णय तक कन्फर्म/स्थायी किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर मूल पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:50:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner